अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2023

संख्या 14/2023-सीमाश्लक

सा.का.नि. 154(अ).— सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 104/94-सीमाशुल्क, दिनांक16 मार्च, 1994, जिसे सा.का.नि. 319 (अ), दिनांक 16 मार्च, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, दूसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अन्त:स्थापित किया जाएगा यथा:-"स्पष्टीकरण.- आयात के समय कंटेनर पर पहले से लगे हुए टैग, ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर जैसे उपकरण भी इस अधिसूचना के तहत उक्त कंटेनर के लिए उपलब्ध सीमा शुल्क और एकीकृत कर से छूट के लिए पात्र होंगे।।"

> [फा. सं. सीबीआईसी-190354/21/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी] राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 104/94-सीमाशुल्क, दिनांक 16 मार्च, 1994, को सा.का.िन. 319 (अ), दिनांक 16 मार्च, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 43/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 778(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2023

No. 14/2023-Customs

G.S.R. 154(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 104/94-Customs, dated the 16th March, 1994 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 319(E), dated the 16th March, 1994, namely:-In the said notification, after the Second proviso, the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.- A device such as tag, tracking device or data logger already affixed on the container at the time of import shall also be eligible for exemption from the duty of customs and the integrated tax as is available to the said container under this notification."

[F. No. CBIC-190354/21/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN Under Secy.

Note: - The principal notification No. 104/94-Customs, dated the 16th March, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide number G.S.R. 319(E), dated the 16th March, 1994 and was last amended, vide notification No. 43/2017-Customs dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), vide number G.S.R. 778(E), dated the 30th June, 2017.